न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 133/24 (वाद)

GCMS No. : 2024/315

अनवान

1. श्री उदयराम पिता श्री चतरभुज जाति जाट, आयु 68 वर्ष, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम

1. श्री भगवानलाल पिता श्री रत्ता जाति गाडरी, आय वयस्क निवासी भावली नयाघर, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती तुलसी पत्नी श्री भगवानलाल, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली. तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. नेहा पुत्री श्री भगवानलाल, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री नारायण पिता श्री चतरभुज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती मोवनीबाई पुत्री श्री चतरभुज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली. तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री विष्णु पिता श्री भगवानलाल, जाति जाट आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिघारी) मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सोहनसिंह राणावत प्रतिवादी संख्या 1 ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20.05.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भावली, पटवार हल्का–साकरोदा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–साकरोदा, तहसील मावली जिला–उदयपुर के आराजी नम्बर 143, 197, 40, 44, 45, 46, 49, 53, 62, 63, 822, 96 किता 12 कुल रकबा 8.3122 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 से 03 के नाम हिस्सा अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:27 IST
Reason: SelfAttested

है, उक्त कृषि भूमि वादी के नाम 1/16, व 1/4 हिस्से से खातेदारी में दर्ज हो उक्त कृषि भूमि में वादी का 5/16 हिस्सा है। कृषि भूमि का मैं वादी हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हो उक्त कृषि भूमि मुझ वादी के संयुक्त स्वामित्व अधिकार आधिपत्य व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है। मुझ वादी की कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 143 में से उत्तर दिशा में एक रास्ता पूर्व पश्चिम आराजी खसरा संख्या 163 की पूर्वी सीमा तक सेर में मिलमा रास्ता निकला हुआ है, एवं इसी आराजी के दक्षिण दिशा में भी एक आम रास्ता पूर्व से पश्चिम आराजी खसरा संख्या 159 की पूर्वी सीमा से सटमा सेर में मिलमा रास्ता निकला हुआ है, एवं खसरा संख्या 143 की पूर्वी दिशा में मुझ वादी की कृषि भूमि खसरा संख्या 197 होकर मैं वादी उक्त कृषि भूमि का हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हूँ। उक्त खसरा संख्या 143 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता व दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता भूमि का उपयोग उपभोग मैं वादी व अन्य सह खातेदारान विगत कई वर्षों से करते हुए आ रहे है। वादवर्णित कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 सह खातेदार भी नहीं है।

2. यह कि मुझ वादी का प्रथम द्वष्टया मामला है, तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनिय क्षति के बिन्दु भी मुझ वादी के पक्ष में है, उक्त वादवर्णित कृषि भूमि का मैं वादी संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हूँ। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा लोभ व लालच की भावना से वसीभूत हो एवं मुझ वादी को भारी रंज व नुकसान पहुँचाने कि नियत से मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग को बलपूर्वक हड़पने की कुचेष्ठा से मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग में हस्तक्षेप करते हुए अनाधिकार प्रवेश कर मेरी भूमि में उगे हुए विलायती बंबूलों व पुरानी थौर की बाड़ को काट कर मुझे भारी रंज व नुकसान पहुँचा कर मेरी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर मेरे कब्जे उपभोग की भूमि में जबरन तारबन्दी कर दी एवं रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से रास्ता भूमि पर कांटे डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर बन्द कर दिया है, व मना करने पर मौके पर विवाद करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 01 व उसके भागीदार द्वारा मिलीभगती से किए गए उक्त कृत्य से मैं वादी व अन्य सह खातेदारान उक्त रास्ता भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो गए है, व रास्ता भूमि का उपयोग उपभोग भी नहीं कर पा रहे है, व न ही आवागम[illegible]र पा रहे है, व न ही मवेशीयों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:27 IST
Reason: SelfAttested

चराने ले जा सक रहा हूँ जिससे मवेशीयों को खिलाने–पिलाने की समस्या काफी गम्भीर हो गई है। मैं वादी काफी वृद्ध हो अक्सर बीमार रहता हूँ वृद्धावस्था में मुझ वादी को भारी मानसिक परेशानी उत्पन्न हो गई है। प्रतिवादी संख्या 01 को मना करने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 नहीं मान रहा है, एवं मौके पर विवाद करने पर उतारू है, जिस हेतु हितों की रक्षा के लिए मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मौके पर विवाद होंगे व मुकदमेबाजी बढेगी एवं मुझ वादी को भारी अशोधनिय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, जबकि स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 01 को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

3. यह कि वाद कारण दिनांक 02–07–2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने की नियत से मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि में जबरन तारबन्दी करने पर उतारू हुआ व रास्ता भूमि में कांटे डालकर रास्ता बन्द कर मुझ वादी को रास्ता भूमि के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ, व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि उक्त वादवर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी का 1/16 व 1/4 हिस्सा होकर उक्त कृषि भूमि में वादी का 5/16 हिस्सा है। का मैं वादी हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हूँ तथा उक्त कृषि भूमि मुझ वादी के संयुक्त स्वामित्व अधिकार आधिपत्य व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा लोभ व लालच की भावना से वसीभूत हो एवं मुझ वादी को भारी रंज व नुकसान पहुँचाने कि नियत से मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग को बलपूर्वक हड़पने की कुचेष्ठा से मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग में हस्तक्षेप करते हुए अनाधिकार प्रवेश कर मेरी भूमि में उगे हुए विलायती बंबूलों व पुरानी थौर की बाड़ को काट कर मुझे भारी रंज व नुकसार पहुँचा कर मेरी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर मेरे कब्जे उपभोग की भूमि में जबरन तारबन्दी कर दी एवं रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से रास्ता भूमि पर कांटे डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर बन्द कर दिया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:27 IST
Reason: SelfAttested

एवं आराजी खसरा संख्या 143 में से उत्तर दिशा में एक रास्ता पूर्व पश्चिम आराजी खसरा संख्या 163 की पूर्वी सीमा तक सेर में मिलमा रास्ता निकला हुआ है, एवं इसी आराजी के दक्षिण दिशा में भी एक आम रास्ता पूर्व से पश्चिम आराजी खसरा संख्या 159 की पूर्वी सीमा से सटमा सेर में मिलमा रास्ता निकला हुआ है, एवं खसरा संख्या 143 की पूर्वी दिशा में मुझ वादी की कृषि भूमि खसरा संख्या 197 होकर मैं वादी उक्त कृषि भूमि का हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हूँ। उक्त खसरा संख्या 143 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता व दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता भूमि का उपयोग उपभोग मैं वादी व अन्य सह खातेदारान विगत कई वर्षों से करते हुए आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा रास्ता भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से रास्ता भूमि पर कांटे डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर बन्द कर दिया है, न्यायहित में उक्त दोनो रास्ता भूमि से अवरोध हटा कर दोनो रास्ता भूमि खुली करायी जावे व तारबन्दी को हटवायी जावे मुझ वादी को अपनी भूमि व रास्ता भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 कोई दखलन्दाजी, बाधा उत्पन्न नहीं करें, न अनाधिकार प्रवेश करें, न जबरन कब्जा करें, जिस हेतु वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जून 2024 में पटवारी को मौके पर ले जाकर मेरी जमीन को मपवाकर जहां पटवारी ने सीमा बताई वहां पर तारबन्दी कर दी गई है व मौके पर मौतबीर लोगो की उपस्थिति व वादी की उपस्थिति में पटवारी ने निशान बताया है। वही पर रास्ते को छोड़ते हुए तारबन्दी की है। रास्ता सभी खातेदारो की जमीन में से होकर निकल रहा है। इससे आधी जमीन उपर व आधी निचे रह गई है। बीच में रास्ता है। इसलिए सभी खातेदारो ने अपने खेत के वहां पर फाटक लगा रखी है। जो खोलकर ही आते जाते है। वादी ने अपने खेत के बाड या तारबन्दी नही कर रखी है। जिससे पशु अन्दर आ जाते है। व फसल को नुकसान पहुंचाते है। वादी न तो स्वयं तारबन्दी करवाता है और न ही पड़ौसी को तारबन्दी करने देना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested

वादी या अन्य कोई भी लोग रास्ते में आ जा सकते है और पशु ला सकते है। रास्ता खुला है लेकिन वादी ने अपने खेत में से रास्ता बन्द कर रखा है। प्रतिवादी ने कोई पेड़ नही काटे है और न ही वादी की जमीन पर कब्जा किया है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 ने ट्रेक्टर जावे जितना रास्ता छोड़ रखा है और उक्त रास्ते से कोई भी आ जा सकता है। प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जिससे उक्त वाद खारिज फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दावा बहस का निवेदन किया गया। दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया की मौके पर रास्ता बंद नही किया जायेगा। रेकॉर्ड अनुसार पालना हो तो कोई आपत्ति नही है। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया की रास्ता खुला रखने हेतु पाबंद किया जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 16 पर दर्ज आराजी नम्बर 143, 197, 40, 44, 45, 46, 49, 53, 62, 63, 822, 96 किता 12 कुल रकबा 8.3122 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस से स्पष्ट है कि मौके पर रास्ते संबंधि विवाद है। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि वादी वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से वादी को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी स्वयं वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। परन्तु उक्त प्रकरण में विवाद केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] मौके पर किसी प्रकार का रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:27 IST
Reason: SelfAttested

हो तो उसे उभय पक्ष बंद नही कर सकते है। क्योंकि मौके पर रास्ता बंद करने पर आमजन असुविधा होगी। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाये जाते हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 16 पर दर्ज आराजी नम्बर 143, 197, 40, 44, 45, 46, 49, 53, 62, 63, 822, 96 किता 12 कुल रकबा 8.3122 हैक्टेयर भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। साथ ही उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि मौके पर रास्ते को खुला रखा जावे। रास्ते को बंद नही किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री उदयराम पिता श्री चतरभुज जाति जाट, आयु 68 वर्ष, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम

1. श्री भगवानलाल पिता श्री रत्ता जाति गाडरी, आय वयस्क निवासी भावली नयाघर, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती तुलसी पत्नी श्री भगवानलाल, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली. तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
3. नेहा पुत्री श्री भगवानलाल, जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री नारायण पिता श्री चतरभुज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती मोवनीबाई पुत्री श्री चतरभुज जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भावली. तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री विष्णु पिता श्री भगवानलाल, जाति जाट आयु वयस्क, निवासी भावली, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमिघारी) मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या : 133/24 (वाद)

GCMS No. : 2024/315

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भावली पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 16 पर दर्ज आराजी नम्बर 143, 197, 40, 44, 45, 46, 49, 53, 65, 822, 96 किता 12 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested

8.3122 हैक्टेयर भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। साथ ही उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि मौके पर रास्ते को खुला रखा जावे। रास्ते को बंद नही किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested